क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 1994/NGT-184/OA-558/2023 दिनांक 16/01/2024

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 08.12.2023 in OA No-558/2023 Anuj Jain Versus Union of India & Others.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 08.12.2023 in OA No-558/2023 Anuj Jain Versus Union of India & Others. Compliance report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Report.

Yours Sincerely

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 558 OF 2023

IN THE MATTER OF:

Anuj Jain ...Applicant(S)

Versus

Union of India & Others ...Respondent(s)

INDEX

Sl. No.	Description	Pg. No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 08.12.2023 in OA 558/2023	1-4
2	**Annexure-I** –Copy of letter show cause notice issued to M/s Nipun Saffron Valley on dated 06.12.2023	5-6
4	**Annexure-II** –Copy of letter imposed Environmental Compensation to M/s Nipun Saffron Valley on dated 15.01.2024	7

FILED BY

(Vikas Mishra)
Regional Officer
UPPCB, Ghaziabad

Reply/response with respect to Hon'ble NGT order dated 08.12.2023 passed in the matter of Anuj Jain Vs Union of India & Ors. in in OA No. 558/2023.

IT IS MOST RESPECTFULLY SHOWTH HERE WITH:-

Subject: The issue relating to construction of group housing project in Violation of Environmental norms raising construction in violation of EIA notification 2006 is involved in the matter.

1. The Hon'ble NGT in the said matter passed the following direction on 14.09.2023, which is placed as under:-

"…………..Hence, we deem it proper to constitute a Joint Inspection Committee comprising of the Director, CPCB as nominated by the Member Secretary, CPCB; Member Secretary, UPPCB; Member Secretary, SEIAA and District Magistrate, Ghaziabad to carry out the spot inspection, examine the sanction plan of construction and approvals, if any, under the environmental laws as well as the provision for Waste Infrastructure Facilities within the project complex and outside the project complex for solid and liquid waste management made by the Respondent No.6 and ascertain the extent of violation of environmental laws and submit an action taken report before the Tribunal within 8 weeks by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The District Magistrate, Ghaziabad will act as a nodal agency……………"

In compliance of Hon'ble NGT order dated 14.09.2023, the Joint Committee carried out inspection of M/s Nipun Saffron Valley at Khasra No. 1058m, 1726M/1, 1725M/2, 1724M, 1056M, 1058M, 1060/1, Village-Pasona Pargana, Loni, District Ghaziabad on 01.12.2023 and filed report on 06.12.2023 before Hon'ble National Green Tribunal.

3- Further, Hon'ble NGT in the matter of OA No. 558/2023 passed the following direction on 08.12.2023 which is placed as under:-

"……… 6.However, we find from the record that notices have not been issued to the respondents, therefore, in order to give opportunity of hearing to the concerned parties, we direct the Registry to issue notices to the respondent nos. 1 to 6 who may file their reply/response within two weeks after receipt of notice.

8. In the meantime, we remind State PCB and its officials about their statutory duties and to ensure that no activities in violation of environmental laws should be allowed to continue and appropriate remedial, preventive and punitive action should be taken by them against respective violators ………"

2. <u>Reply/response on behalf of UPPCB</u>

(i) That, UPPCB vide letter no. G-42080/C-1/G-727/Ka.ba.no./2023 dated 06.12.2023 has issued show cause notice u/s 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 against the project proponent M/s Nipun Saffron Valley at Khasra No. 1058m,

1726M/1, 1725M/2, 1724M, 1056M, 1058M, 1060/1, Village-Pasona Pargana, Loni, District Ghaziabad for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1,38,28,125/-. Copy of letter is annexed as **Annexure-I**.

(ii) That, pursuant to show cause notice dated 06.12.2023, inspection of M/s Nipun Saffron Valley at Khasra No. 1058m, 1726M/1, 1725M/2, 1724M, 1056M, 1058M, 1060/1, Village-Pasona Pargana, Loni, District Ghaziabad was carried out on 06.01.2024. During visit civil work of proposed sewage treatment plant was found completed and representative of project proponent informed that procurement of plant & machinery is under process and commissioning of sewage treatment plant will be started shortly. During visit it was observed that the project proponent has not completed the installation of Sewerage Treatment Plant and sewerage water coming from residential premises is being discharged directly in to sewer line.

(iii) UPPCB vide letter no. H-05782/C-1/Jal/G-727/Parya.chati/2023 Dated 15.01.2024 has imposed Environmental Compensation of Rs. 1,38,28,125/- for the violation of Environmental norms and directed project proponent to deposit aforesaid amount of environmental compensation within 15 days. Such letter of imposition of environmental compensation has also been endorsed

to District Magistrate, Ghaziabad for information and necessary action. Copy is annexed as **Annexure-II**.

3. It is respectfully submitted that the Uttar Pradesh Pollution Control Board is regularly monitoring the units and ensuring that no such activity violating Environmental norms is conducted. Further necessary action is being taken against the violators in accordance with rules.

The above report is being submitted for kind perusal.

(Kunwar Santosh Kumar)
Assistant Environmental Engineer

(Vikas Mishra)
Regional Officer

4-

Annexure - I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- G 42080/C-1/जी–727/का०ब०नो०/2023 **Date:** 06/12/2023

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०),
खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम,
ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी,
गाजियाबाद।

यह कि परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०), खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद जो आवासीय परियोजना के निर्माण हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 558/2023 अनुज जैन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.09.2023 के कम में परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०), खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद का निरीक्षण संयुक्त समिति के साथ क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.12.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि परियोजना द्वारा स्थापनार्थ/संचालनार्थ हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण/सहमति जल/वायु प्राप्त नही किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का उल्लंघन है। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु एस०टी०पी० नही पाया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम, गाजियाबाद की सीवर लाईन मे निस्तारण होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित उत्प्रवाह का निस्तारित हो रहे नमूना एकत्रित कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया। प्राप्त विलेशण आख्यानुसार समस्त प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानको से अधिक है।

यह कि परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०), खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 का उल्लंघन कर आस–पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा रहा है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे जल प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाई के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुये उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०), खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यो न परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा०लि०), खसरा नं० 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद के उत्तरदायी व्यक्तियों/निदेशक गण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये मा० न्यायालय में परिवाद दाखिल करा दिया जाये?

.........2/–

टी०सी०–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner

5

2. यह कि क्यों न वर्णित उल्लंघन के दृष्टिगत इकाई मैसर्स निपुण सैफरान वैली(मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा0लि0), खसरा नं0 1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुक्रम में निर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के अनुरूप जी0डी0ए0 के सर्टिफिकेट के आधार पर दिनांक 30.06.2021 से परियोजना का नवीनतम निरीक्षण दिनांक 01.12.2023 तक डिफाल्टर अवधि 885 दिन हेतु रू0 1,38,28,125/–(रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ पचीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये? जिसका व्यय आस–पास के पर्यावरणीय/प्रदूषण नियंत्रण के सुधार में किया जायेगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन कराते हुये आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H05782 /C-1/जल/जी0–727/पर्या0क्षति0/2023 Date: 15/01/2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स निपुण सैफरान वैली (मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0),
खसरा नं0–1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम,
ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी,
गाजियाबाद।

विषयः–इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या जी 42080/सी–1/जी–727/का0ब0नो0/2023 दिनांक 06.12.2023 द्वारा परियोजना के विरूद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.01.2024 को किया गया। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परन्तु निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 सम्बन्धी प्लांट एवं मशीनरी स्थापित नहीं पायी गयी। परियोजना का पूर्व निरीक्षण दिनांक 01.12.2023 के समय ग्रुप हाउसिंग सोसायटी से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण व्यवस्था हेतु एस0टी0पी0 नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय कलेक्शन टैंक स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान परियोजना से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम, गाजियाबाद की सीवर लाईन में निस्तारण होता हुआ पाया गया था। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनांक 06.12.2023 द्वारा परियोजना के विरूद्ध रू0 1,38,28,125/– (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ पचीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना द्वारा उक्त पत्र की अनुपालन आख्या कार्यालय में दिनांक 06.01.2024 तक अप्राप्त है। क्षेत्रीय अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा परियोजना मैसर्स निपुण सैफरान वैली (मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0), खसरा नं0–1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.12.2023 की पुष्टि करते हुये रू0 1,38,28,125/– (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ पचीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु बनायी गयी गाइड लाइन के आधार पर निपुण सैफरान वैली (मैसर्स निपुण बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा0लि0), खसरा नं0–1726एम/1, 1725एम/2, 1724एम, 1056एम, 1058एम, 1060एम, ग्राम पसौडा, तहसील–लोनी, गाजियाबाद के विरूद्ध रू0 1,38,28,125/– (रू0 एक करोड़ अड़तीस लाख अट्ठाइस हजार एक सौ पचीस मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या 701502010002104 आईएफएससी कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करते हुये साक्ष्य सहित बोर्ड को सूचित करें अन्यथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय,

(प्रदीप शर्मा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1

टी0सी0–12वीं, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e.mail : info@uppcb.com] website: www.uppcb.com